1.6

प्रपत्र– 30

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–खोली
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्रम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.280 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.568 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.848 है0 वन भमि का खेल विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खोली द्वारा दिनांक 9/10/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

9/10/2020

ह0
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि0ख0–बागेश्वर
जिला–बागेश्वर

ह0
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत खोली

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाये। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र– 30.1

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य।

दिनांक 09.10.2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– खोली

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	टिकेन्द्र सिंह	T Singh
2	[illegible]	[illegible]
3	भवान सिंह	Parihar
4	Govind Singh Parihar	[illegible]
5	Kunwar Singh Parihar	[illegible]
6	Thakur Singh Parihar	[illegible]
7	Mahesh Singh	[illegible]
8	चन्दन सिंह	Chandan
9		[illegible]
10	[illegible] सिंह	[illegible]
11		[illegible]
12	नरेन्द्र परिहार	[illegible]
13	योगेश परिहार	[illegible]
14	Inder Singh	[illegible]
15	चन्दन सिंह	[illegible]
16	हरी ओम सिंह	[illegible]
17		[illegible]

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत खोली
वि०ख० एवं जिला-बागेश्वर

भूपाल सिंह
सरपंच
वन पंचायत खोली
पो० भटोली जिला बागेश्वर

हम कि ग्राम खोली के वन पंचायत के समस्त हकदारन् एवं अध्यक्ष वन पंचायत खोली अपनी वन पंचायत खोली की भूमि में खेल मैदान निर्माण किये जाने हेतु सहमत है। हम ग्राम वासियानों को खेल मैदान निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है। और वन पंचायत से लगी अन्य भूमि में भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हस्ताक्षर स्वरूप निम्नलिखित हैं।

1 टिकेन्द्र सिंह
2 [illegible]
3
4- [illegible]
5 Govind Singh Parihar
6 Kunwar Singh
7
8 संतोष कुमार
9 डुंगर सिंह
10 राजू परिहार
11 [illegible]
12 [illegible]
13 [illegible]
14 Chandan Singh
15
16 [illegible]
17 दरवान सिंह परिहार
18 [illegible]
19 Sanjay
20
21 हरीश सिंह
22 [illegible]
23 Rakhi
24 [illegible]
25 Diwan Singh
26
27 Balwant
28 [illegible]
29 [illegible]
30 B Singh
31 तारा देवी
32 चन्दन सिंह
33 [illegible]
34 [illegible]
35 [illegible]
36 [illegible]
37 [illegible]
38 [illegible]
39 [illegible]
40 तारा देवी
41 [illegible]
42 [illegible]
43 पुष्पा
44
45 [illegible]
46 [illegible]
47 [illegible]
48 [illegible]
49 [illegible]
50 [illegible]
51 गोपाल राम
52 Nand Ram
53 Chandan Singh

भूपाल सिंह
सरपंच
वन पंचायत खोली
पो० भटोली जिला बागेश्वर

1.6

प्रपत्र– 30.2

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति–बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.000 है0 आरक्षित वनभूमि 1.280 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 1.568 है0 वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 2.848 है0 वन भूमि) खेल विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 16.10.2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की बैठक श्री श्री राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।	(हस्ताक्षर)
2	श्री ———	उप प्रभागीय वनाधिकारी	———
3	श्री गिरीश चूनी	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(हस्ताक्षर) स0स0क0अधि0 बागेश्वर
4	श्रीमती पुष्पादेवी	बी0डी0सी0, क्षेत्र खोली	पुष्पा (श्रीमती पुष्पा देवी) प्रमुख क्षेत्र पंचायत बागेश्वर, जिला- बागेश्वर

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम खोली में खेल मैदान (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.848 है0 भूमि खेल विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामना लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम खोली मे खेल मैदान निर्माण हेतु 2.848 है0 वन भूमि खेल विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

ह0 15.10.2020

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ह0

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र– 30

Form-I

(for Non linear Project)
Government of Uttrakhand
Office of the District Collector Bageshwar

No Mono/Bay   Dated 28.10.2020

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11/9 98 FC (pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issues guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA's for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb,2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.848 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **SPORT DEPARTMENT** for **CONSTRUCTION of Sport Stadium at Village Kholi in District Bageshwar,** falls within jurisdiction of **Kholi** village in **Bageshwar** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) The complete for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.848 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and mettings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 28.10.2020

(Vineet kumar)
District Colletor
Seal जिला अधिकारी बागेश्वर
(Full name and official seal of the District Collector)

1.6

प्रपत्र– 30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव

आज दिनांक 28.10.2020 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक द्वारा जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्रम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य के लिए 2.848 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीस वनाधिकार समिति बागेश्वर द्वारा ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण कार्य के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण कार्य के लिए 2.848 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण कार्य के लिए 2.848 है0 भूमि को खेल विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा नहीं है।

जिला पंचायत सदस्य
बागेश्वर

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

वन क्षेत्र अधिकारी
बैजनाथ वन क्षेत्र (पुरड़ा)

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

1.6

प्रपत्र– 30.3

परियोजना का नाम– जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निमार्ण कार्य।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर में मा0मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या –886/2017 के अन्तर्गत ग्रम खोली में खेल मैदान (परियोजना) के निमार्ण हेतु 2.848 है0 वन भूमि खेल विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अुनसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 28.10.2020

जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

जिला अधिकारी
बागेश्वर